

प्रेस नोट थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर दिनांक 21.01.2024

नौकरी दिलाने के नाम पर कूटरचित एवं फर्जी नियुक्ति पत्र देने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक चौरी चौरा के नेतृत्व में उ0नि0 कृष्ण कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 33/2025 धारा 319(2),318(4),338,336(3), 340(2),316(2),191(2),115(2),352,351(2),351(3) भा0न्या0सं0 व 138 एन.आई.एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त विनय कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर वादी मुकदमा से अपने मित्र के खाते में 25 लाख रुपये ट्रांसफर करा लेना व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त कराने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व आपराधिक इतिहास-

विनय कुमार यादव पुत्र महानन्द यादव निवासी भीखमपुर रोड़ गरुणपार थाना कोतवाली जनपद देवरिया
अपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 33/2025 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2), 316(2), 191(2),115(2), 352, 351(2), 351(3) भा0न्या0सं0 व 138 एन.आई.एक्ट थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 69/2023 धारा 406,420,467,468,471,506 भादवि व 138 एन.आई.एक्ट थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक राहुल शुक्ल थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 कृष्ण कुमार सिंह थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 सौरभ झाँ थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
4. उ0नि0 नीरज मौर्या थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर